Volume-3, No. II, Aug-2016, pp. 87-89

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में शैक्षिक विकास

श्री पवन त्रिवेदी, प्रधानाचार्य
जनता इन्टर कालिज सांरगपुर खुर्जा बुलन्दशहर उ.प्र. भारत।

सार
शिक्षा एक सामाजिक क्रिया के रूप में सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिष्ठित एवं समादृत है। इसमें समय–समय पर अनेक आयाम उद्भूत एवं सम्पृक्त होते रहते हैं। सम्पृक्तता की यह सतत् प्रवाहित प्रक्रिया मनुष्य के भावों तथा कार्यों का परिमार्जन करती रहती है जिससे शिक्षा के स्वरूप में न केवल परिवर्तन होता है अपितु गत्यात्मकता को भी प्रधानता प्राप्त होती है। शिक्षा शब्द 'शिक्ष्' भाव में अ+टाप् के संयोग से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ अधिगम, अध्ययन एवं अधिग्रहण है। किसी कार्य के करने के योग्य होने की इच्छा, निष्णात् होने की इच्छा, अध्यापन, शिक्षण, प्रशिक्षण आदि का भी अर्थबोध उक्त शब्द से होता है।[1] 'शिक्ष्' धातु से व्युत्पन्न होने के कारण इससे सीखने और सिखाने दोनों का बोध होता है।

मुख्य शब्दः शिक्षा का अर्थ, पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च, माध्यमिक शिक्षा, राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप, कन्या विद्या धन योजना, बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर फाउंडेशन योजना

आंग्ल भाषा में शिक्षा के लिये 'एजूकेशन' शब्द व्यवहृत होता है जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के 'एजूकेटम्' से हुई है। एजूकेटम् शब्द ई तथा 'केटम्' का युग्म रूप है जिसके अर्थ क्रमशः अन्तः तथा अग्रसारण हैं। इससे ध्वनित है कि एजूकेशन बालक की अन्तर्निहित शक्तियों या गुणों का वाह्य प्रस्फुटन अथवा विकास है। इतर शब्दों में अन्तर्निहित ज्ञान का यथेष्ट बोध ही शिक्षा है। वर्तमान परिवेश मे शिक्षा को इसी सन्दर्भ में ग्रहण किया जाता है। मनुष्य के जीवन में विद्या, शिक्षा अथवा ज्ञान की जो महत्ता विद्यमान है वह अप्रतिम है। इसे मनुष्य का तृतीय नेत्र कहकर इसकी महत्ता प्रदर्शित की गयी। नीति– शतक में तो यहाँ तक प्रतिपादित किया गया है कि विद्या ही मनुष्य को मानवेतर प्राणियों से पृथक करती है।[2] इसका कारण था कि विद्या मनुष्य के जीवन को विशुद्ध प्रज्ञासम्पन्न, परिष्कृत और समुन्नत तो करती ही है साथ ही करणीय एवं अकरणीय में भेद भी स्थापित करती है। अथर्ववेद में शिक्षा अथवा विद्या के उद्देश्यों और परिणामों को प्रदर्शित करते हुये उसमें श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, धन, आयु, और अमृतत्व को समाहित किया गया है।[3] संक्षेपतः भारतीय शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की धार्मिक प्रवृत्तियों का उत्थान, चरित्र एवं आचरण को समुन्नत करना, सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन तथा सांस्कृतिक जीवन का उत्थान एवं संरक्षण माना गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतवासियों को पारिस्थितिक आवश्यकताओं के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा–प्रणाली को गठित करने का सुअवसर तो प्राप्त हुआ किन्तु संसाधनों की न्यूनता एवं उत्तरदायित्वों की बहुलता इसके समक्ष एक कठिन चुनौती थी। प्राथमिक शिक्षा के प्रचार, माध्यमिक शिक्षा को उपयोगी एवं बहुमुखी बनाना, उच्चशिक्षा के स्तर को समुन्नत करना, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा का विकास, स्त्री–शिक्षा एवं अनुसन्धान को प्रोत्साहन, पिछड़े तथा दलित वर्ग के लिये शिक्षा–सुविधाओं की उपलब्धता, शिक्षा के माध्यम, पाठ्यक्रम तथा शिक्षा–प्रणाली में सुधार, शिक्षकों के प्रशिक्षण का परिमार्जन एवं कार्य दशाओं में सुधार, विद्यालय के विकास की सुविधाएं प्रदान करना आदि अनेक चुनौतियां विद्यमान थीं। स्वतन्त्रता–प्राप्ति के बाद केन्द्रीय शिक्षा विभाग एक मन्त्रालय के रुप में गठित किया गया। सन् 1976 ई0 तक शिक्षा–व्यवस्था मात्र राज्य सरकार का उत्तरदायित्व था। केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के समन्वय, प्रसार तथा उत्थान का था किन्तु सन् 1976 ई0 में भारत के संविधान में संशोधन कर शिक्षा को केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच एक संयुक्त विषय बना दिया गया। समाज के निर्बल वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक उन्नयन का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार का माना गया। केन्द्रीय शिक्षा–सलाहकार परिषद् सामान्य शिक्षा सिद्धान्तों का प्रतिपादन करती है। उच्च, माध्यमिक, प्राथमिक तथा सामाजिक शिक्षा के सम्बन्ध में इस परिषद् में चार स्थायी समितियां हैं। ये समितियाँ अपनी सम्बन्धित क्षेत्रों का निर्धारण करती हैं, वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करती हैं तथा विकास की भावी योजनाओं का निर्माण करती हैं। परिषद् की एक अन्य समिति द्वारा इन चारो समितियों के क्रियाकलापों का समन्वयन किया जाता है। केन्द्र सरकार नीति–निर्धारण के साथ ही राज्य सरकारों को शिक्षा के नियोजन में भी सहयोग देती है। पाँचवी पंचवर्षीय योजना तक शिक्षा को केवल समाज–सेवा समझा जाता था किन्तु छठीं पंचवर्षीय योजना के समय यह अनुभव किया गया कि शिक्षा का विकास देश के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के लिये

लागत के रूप में होना चाहिये। तब से शैक्षिक क्षेत्र में एक नवीन क्रान्ति उद्‌भूत हुई।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा की प्रमुख नीतियों को अक्षुण्ण रखते हुये, प्राथमिक, सार्वभौमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के नियोजन का कार्य प्रारम्भ किया गया। 300 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष व्यय के बावजूद अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त न हो सका।[4] छठीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक, सार्वभौम तथा प्रौढ़ शिक्षा को तो महत्ता प्रदान की गयी साथ ही समाज के दुर्बल वर्गों तथा बालिकाओं की शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया। इनका समावेश प्रधानमन्त्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भी किया गया। छठीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि में जो आकलन किया गया, उसके आधार पर यह संभावना व्यक्त की गयी (2) सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में 180 लाख अति छात्रों के प्रवेश का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, योजना के अन्त तक वह अवश्य पूरा हो जायेगा[5] किन्तु विभिन्न राज्यों में शैक्षिक स्थिति अपेक्षानुकूल उन्नत न हो सकी। सातवी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर कुल व्यय 7633 करोड़ रूपया तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह व्यय 19600 करोड़ रूपया हो गया। इसी समय विश्व को 18 सूत्रीय घोषणा–पत्र के माध्यम से बीसवीं शताब्दी के अन्त तक सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया गया। इसके मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों के निवारण, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने आदि कार्यों पर तेजी से बल दिया गया। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। 15 अगस्त 1995 ई0 से 'पौष्टिक आहार–योजना' बच्चों के विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति तथा विद्यालय में रोके रहने के उद्‌देश्य से शुरू की गयी।[6]

नवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिये 26381.6 करोड़ रूपये के व्यय का प्रावधान किया गया जिसमें से 1184. 4 करोड़ रूपये प्राथमिक शिक्षा पर व्यय के लिये था। सन् 1998 ई0 में यू0एन0ओ0 के 5 सदस्य देशों के सहयोग से भारतीय सरकार ने उपेक्षित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिये नया कार्यक्रम जनशाला शुरू किया। नवम्बर 2000 में 'सर्वशिक्षा अभियान' कार्यक्रम प्रतिष्ठित हुआ। 1 अप्रैल 2001 ई0 को अनौपचारिक शिक्षा को शिक्षा गारन्टी योजना और वैकल्पिक एवं नयी–शिक्षा के रुप में परिवर्तित कर दिया गया तथा इससे सर्व शिक्षा अभियान के घटक रूप में स्वीकार किया गया। उक्त योजना उन स्थानों पर प्रारम्भ हुई जहाँ 1 किमी0 दूरी के अन्दर प्राथमिक स्कूल विद्यमान न थे। इस समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि 2001 ई0 में 93वाँ संविधान संशोधन कर शिक्षा को मौलिक अधिकार स्वीकार किया गया। इस योजना की कालावधि में लगभग 80 हजार नये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये। इससे प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या तो बढ़ी किन्तु छात्र–संख्या घट गयी।[7]

दसवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिये 42850 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया जिसमें 28750 करोड़ रूपया प्राथमिक शिक्षा के लिये था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 6 से 11 वर्ष आयु–वर्ग के शत–प्रतिशत बच्चों का सन् 2003 के अन्त तक विद्यालय में प्रवेश तथा 11 से 14 वर्ष के शत–प्रतिशत बच्चों का प्रवेश सन् 2007 ई0 के अन्त तक था। इसे सफल बनाने के लिये सन् 2003 में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सर्व शिक्षा अभियान का घटक बनाया गया। स्वतन्त्र भारत में शैक्षिक सुधार के लिये शिक्षा के क्षेत्र में समय–समय पर विविध आयाम जुड़ते रहे, विभिन्न आयोगों के गठन हुये जिन्होंने अध्ययनोपरान्त अपने सुझाव प्रस्तुत किये तथा सरकार ने उनके यथाशक्य कार्यान्वयन का प्रयास भी किया। अनुसूचित जाति की शैक्षिक योग्यता में वृद्धि करने के लिये नौवी से बारहवीं कक्षा तक पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को विशेष कोचिंग उपलब्ध कराकर उनकी कमियों को दूर करने के लिये राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों को केन्द्र से शत–प्रतिशत सहायता उपलब्ध करायी जाती है। विदेश में उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति तथा यात्रा अनुदान भी प्रदान किया जाता है। अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिये मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति की व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत दसवीं तक की पढ़ाई हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2005–2006 में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये 'राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप' नामक योजना चलायी गई। इसके अन्तर्गत एम0फिल0, पी–एच0डी0 जैसी उपाधियों के लिये उच्चतर अध्ययन–हेतु अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में फेलोशिप प्रदान की जाती है। बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर फाउंडेशन योजना का उद्‌देश्य कमजोर वर्गों के प्रतिभावान विद्यार्थियों की पहचान करना और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देना हैं। 'कन्या विद्या धन योजना' तथा 'सावित्री बाई फूले शिक्षा अनुदान योजना' भी निर्धन कन्याओं के शैक्षिक विकास के लिये चलायी गयी।[8]

दलित परिवारों में चिर–व्याप्त अशिक्षा का मूल कारण उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति रही है। व्यक्ति जिस सामाजिक–आर्थिक स्थिति से सम्बद्ध रहता है उसे जिस प्रकार का जीवन स्तर प्राप्त होता है, उसकी शिक्षा उसी भाँति और स्तर की होती हैं। चूँकि दलित समाज में पुराकाल से ही निर्धनता, शिक्षा के प्रति निषेध, सामाजिक विलगता विद्यमान थी, अतः उसका प्रभाव उनके शैक्षिक स्तर पर अद्यतन परिलक्षित होता रहा है। यद्यपि वर्तमान में अनेक सामाजिक परिवर्तन हुये है। अनेक रूढ़ियाँ खण्डित हुई हैं तथा उनकी भ्रान्तियां

निर्मूल हुई हैं। सरकार द्वारा संचालित अनेक योजनाओं के माध्यम से दलित परिवारों की शैक्षिक स्थिति को समुन्नत करने के प्रयास किये जा रहे हैं तथापि अद्यतन अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी है। दलित परिवारों में शिक्षा के प्रति चेतना का सूक्ष्म संचार तो परिलक्षित होता है किन्तु उच्च शिक्षा के स्तर तक पहुँचते–पहुँचते कतिपय कारणों से अनेक बच्चों का शैक्षिक मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। दलित वर्ग की सामाजिक अयोग्यता, शोषण, आर्थिक दुर्बलता एवं अधीनता का मुख्य कारण अशिक्षित होना है।

शिक्षा का बहुमुखी तथा गहरा प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। इससे व्यक्ति में एक ओर नव उन्मेषों के प्रति जागरूकता पैदा होती है तो दूसरी ओर वैचारिक दृढ़ता, प्रखर चिन्तन, महत्वाकांक्षा, परिपक्वता, बुद्धिमत्ता प्रभृत गुणों का संचार होता है। यही कारण था कि महात्मा ज्योतिबा फुले तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर ने अपनी कार्ययोजना में शिक्षा को प्रमुख एवं प्रथम स्थान दिया।

सन्दर्भ –

1. आप्टे, शिवराम वामन, संस्कृत हिन्दी कोश, पृ0–1015,
2. विद्याविहीन पशुः। नीतिशतक 31.18
3. अथर्ववेद 11.3.15,
4. पाँचवी पंचवर्षीय योजना सन्दर्भ पुस्तिका।
5. छठवीं पंचवर्षीय योजना सन्दर्भ पुस्तिका।
6. सातवी पंचवर्षीय योजना सन्दर्भ पुस्तिका।
7. नवी पंचवर्षीय योजना सन्दर्भ पुस्तिका।
8. दसवी पंचवर्षीय योजना सन्दर्भ पुस्तिका।

Notes